केंद्रीय बजट 2023-24 (भाग- B)

Drishti IAS

केंद्रीय बजट 2023-24

PART - B

प्रत्यक्ष कराधान

- व्यक्तिगत आयकर:
  - छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है।
  - आयकर स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है
  - कर में छूट की नई सीमा= 3 लाख रुपए
- मानक कटौती में वृद्धि:
  - वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये: 50,000 रुपए
  - पारिवारिक पेंशन: 15,000 रुपए
- प्रकल्पित कराधान ई सीमा में वृद्धि:
  - MSMEs के लिये (शर्त: नकद में प्राप्त राशि कुल सकल प्राप्तियों के 5% से कम)
- सहकारिता हेतु:
  - विनिर्माण गतिविधियाँ शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% का रियायती कॉर्पोरेट कर
- छूट (आयकर):
  - आवास, शहर, कस्बे और गाँव के विकास/विनियमन हेतु स्थापित सभी वैधानिक प्राधिकरण/बोर्ड/आयोग
  - अग्निपथ योजना में नामांकित अग्निवीर'
  - अग्निवीर निधि को EEE (Exempt-Exempt-Exempt) का दर्जा दिया गया है

EEE श्रेणी- संपूर्ण निवेश, आय और ब्याज को कर से छूट प्रदान की जाती है

नई कर व्यवस्था के अंतर्गत आय स्लैब	नई कर व्यवस्था के अंतर्गत आयकर की दर
0-3 लाख रुपए तक	शून्य
3 लाख से 6 लाख रुपए तक	5%
6 लाख से 9 लाख रुपए तक	10%
9 लाख से 12 लाख रुपए तक	15%
12 लाख से 15 लाख रुपए तक	20%
15 लाख रुपए से अधिक	30%

अप्रत्यक्ष कराधान

- सीमा शुल्क:
  - ↑ सोने और प्लेटिनम से बने सामानों, चाँदी से निर्मित डोरे/बार/सामानों पर
  - ↑ सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिता शुल्क: ~16%
  - छूट:
    - मिश्रित CNG में निहित संपीडित बायोगैस
    - परीक्षण एजेंसियाँ जो वाहनों, ऑटोमोबाइल पार्ट्स का आयात करती हैं
    - रासायनिक उद्योग में प्रयुक्त विकृत एथिल अल्कोहल
- सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन:
  - संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962- आवेदन दायर होने के बाद समाधान हेतु अंतिम निर्णय लेने के लिये नौ महीने की समयसीमा
  - केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017- Central GST Act, 2017 - कराधान आदि के लिये न्यूनतम और चक्रवृद्धि राशियों में परिवर्तन।

और पढ़ें...

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/union-budget-2023-24-part-b-1